

राजस्थान सरकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम कोर्ट) केम
 नलवाड़ा (पिडा)

आदेश

प्राचीन "खाता पुस्तकी" प्राचीन पत्र पटवारी
 नलवाड़ा

य प्र.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
 नलवाड़ा

नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान प्र-राजस्व अधिनियम


1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम तहसील
 3TLW पिडा

जिला की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या
 2-78-78 (2-15) 101/127

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व - रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	3TLW	101/127	पाल सिंह पुत्र किलोम सिंह जाति जयसिख	कृपाल सिंह पुत्र किलोम जाति जयसिख
			/	/

1006
3/10/25


 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :-

मांक :-


तिलिपि :-

3. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदा शीघ्र

किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्राचीन श्री को सूचनाएं।
 कृपाल सिंह पुत्र किलोम सिंह जयसिख

3. रक्षित पत्रावली


 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन कलक्टर